सी0एन0आर0नं0 यू.पी.जे.पी.01–004036–2018

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3, जौनपुर ।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 66/18

छोटेलाल सिंह पुत्र गिलबिल साकिन मौजा पट्टी जमालापुर, थाना रामपुर, जौनपुर–––––––– बनाम ––––––––––––––––––सरकार

अपराध संख्या– 108/2018
धारा–3 (1) उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम
थाना– रामपुर, जौनपुर।

दिनांक 27.06.2018

आवेदक/अभियुक्त छोटेलाल सिंह पुत्र गिलबिल द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं।

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 19.05.2018को प्रभारी निरीक्षक थाना रामपुर जौनपुर मय हमराहियान क्षेत्र भ्रमण थें कि इस दौरान पता चला कि राकेश सिह उर्फ भुल्लन सिंह का एक संगठित गिरोह है। इस गिरोह का वह गैंग लीडर है तथा गिरोह के सदस्य विनीत सिंह दउर्फ सौरभ सिह, विकास उर्फ आशु सिंह तथा एक अन्तर्जनपदीय गिरोह द्वारा अपना एक सुसगठित गिरोह बना लिये है इस गिरोह द्वारा अपने व अपने गिरोह के सदस्यों को आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जधन्य अपराध करता है। इनके भय व आतंक से समाज का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध गवाही यां सूचना दर्ज कराने का साहस नहीं करता। इनके अपराध का विवरण निम्न है:–

1. थाना रामपुर में मु.अ.सं. 1284/17 धारा 147, 148, 149, 302, 120बी., 467, 468, 471 भा0दस0
2. थाना रामपुर में मु.अ.सं. 1106/09 धारा 147, 452, 323, 504, 506भा0दस0 व धारा–3(1) 10 एस.सी.एस.टी.एक्ट का अभियोग पंजीकृत होकर बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रार्थी के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दिखाकर उक्त प्रकरण में अभियुक्त बना दिया।

अतः समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा उचित जमानत मुचलका पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रखर विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है तथा अभियुक्त के विरूद्ध दर्शित मुकदमे में बाद विवेचना आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अभियुक्त एक शातिर अपराधी है। जमानत पर छूटने पर पुनः इसी तरह के अपराध मे शामिल हो जायेगा तथा गवाहों को धमकाने की कोशिश करेगा। अभियुक्त अभ्यस्त अपराधी है।

समग्र तथ्यों के प्रकाश में जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा केस डायरी, प्रथम सूचना रिपोर्ट गैंगचार्ट इत्यादि समस्त सुसंगत कागजात का अति गहनता से अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने के सम्बंध में मुख्य तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त के विरूद्ध उपर्युक्त मुकदमा

पंजीकृत हैं तथा इस मामले में फर्जी व असत्य आधारों पर फंसाया गया है जबकि अभियोजन अधिकारी द्वारा वर्णित आपराधिक वाद को रेखांकित कर यह भी अभिकथन किया गया है कि उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में विहित प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अस्वीकार किया जाए। उ0प्र0 गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण)अधिनियम 1986की धारा (4)यह उपबंधित करती है कि संहिता के किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर यां उसके अपने बंधपत्र पर तब तक नही छोड़ा जाएगा, जब तक किः–

क– लोक अभियोजन को ऐसे छोड़े जाने के आवेदन का विरोध करने का अवसर नही दिया जाता है, और

ख– जहां लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है, वहां न्यायालय का समाधान न हो जाए कि यह विश्वास सकरने का युक्तियुक्त आधार है कि यह ऐसे अपराध का दोषी नही है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की सम्भावना नही है।

प्रस्तुत मामले में अभियोजन प्रपत्रों से स्पष्ट है कि आवेदक/ अभियुक्त के विरूद्ध 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। अभियोजन प्रपत्रों में यह दर्शित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर आर्थिक लाभ हेतु मारपीट, चोरी इत्यादि के प्रयास आदि का अपराध कारित किया गया है। आवेदक द्वारा कोई ऐसा तथ्य दर्शित नही किया गया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उसके द्वारा गैंगेस्टर अधिनियम के अधीन अपराध न किया गया हो और न ही ऐसा कोई तथ्य दर्शित किया गया है कि जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि जमानत पर छूटने पर उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की सम्भावना नही है।

उपर्युक्त संप्रेक्षण के प्रकाश में प्रकरण के तथ्यों एव परिस्थितियों में धारा 19(4)के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के अभिमत् के अनुसार यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार नही है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नही है और जमानत पर रहते समय उनके द्वारा कोई अपराध कारित करने की संभावना नही है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने का विधिसम्मत आधार नहीं है।

<u>आ दे श</u>

प्रार्थी/अभियुक्त छोटेलाल सिंह पुत्र गिलबिल का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है ।

(अशोक कुमार)
विशेष न्यायाधीश(गैंगेस्टर एक्ट)/अपर
सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0 3,जौनपुर ।